अंचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा (धनबाद)।

विविध वाद संख्या– 01/19–20

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
11/06/19	यह अभिलेख प्रभारी, पंचेत ओ0पी0 द्वारा प्राप्त ओवदन के आलोक में प्रारम्भ किया जाता है। ओ0 पी0 प्रभारी द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–बान्दा, मौजा नं0–220, खाता नं0–136, प्लॉट नं0–1239, 1240 एवं 1241, कुल रकवा–32 डी0 भूमि को लेकर प्रथम पक्ष, अनिल चन्द्र मंडल, पिता–स्व0 नकुल चन्द्र मंडल तथा द्वितीय पक्ष, श्री भैरव मंडल, पिता–स्व0 दुखु मंडल एवं अन्य, सभी साकिम–बान्दा, पंचेत के द्वारा प्रश्नगत् भूमि पर अपना–अपना दावा किया जा रहा है। अतः प्राप्त आवेदन के आलोक में राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक–19/06/19 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
19/06/19	अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जिसमें प्रतिवेदित किया गया है कि वर्णित भूमि मौजा–बान्दा, मौजा नं0–220, खाता नं0–136, प्लॉट नं0–1239, 1240 एवं 1241, कुल रकवा–32 डी0 विगत् सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की भूमि है जिसका खतियानी रैयत राधु नापित, पिता–सनातन नापित, जाति–नापित है। स्थल जाँच के क्रम में पाया गया कि प्रश्नगत् भूमि पर अनिल चन्द्र मंडल, पिता–स्व0 नकुल चन्द्र मंडल के द्वारा चाहरदिवारी का निर्माण किया जा रहा है वहीं द्वितीय पक्ष, श्री भैरव मंडल एवं अन्य द्वारा उक्त भूमि को सार्वजिन भूमि बताया जा रहा है जिसके कारण दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। अतः उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की माँग करें। अभिलेख दिनांक–25/06/19 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
25/06/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष अनुपस्थित। पुनः उभय पक्षों को द्वितीय नोटिस कर राजस्व कागजात की माँग करते हुए अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होने का निदेश दें। अभिलेख दिनांक–05/07/19 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	
05/07/19	अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्षों के द्वारा निर्धारित तिथि को अपनी उपस्थिति दर्ज करायी गयी परन्तु कोई भी राजस्व कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। द्वितीय पक्ष, श्री भैरव मंडल के द्वारा राजस्व कागजात प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय की माँग की गयी। अभिलेख दिनांक–08/07/19 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, निरसा।	

Scanned with CamScanner

अभिलेख उपस्थापित।

प्रथम पक्ष, श्री अनिल चन्द्र मंडल द्वारा राजस्व कागजात समर्पित किया गया परन्तु द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्धारित तिथि को एक आवेदन–पत्र समर्पित करते हुए पुनः अतिरिक्त समय देने हेतु अनुरोध किया गया।

अतः उभय पक्षों को सभी राजस्व कागजात के साथ अपना पक्ष रखने हेतु अन्तिम नोटिस निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक–....15/07/19....को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

15/07/19 अभिलेख उपस्थापित।

नोटिस का तामिला प्राप्त। उभय पक्ष उपस्थित। दोनों पक्षों के द्वारा अपने–अपने समर्थन में राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया। राजस्व कागजातों के अवलोकन से पाया गया कि प्रथम पक्ष, अनिल चन्द्र मंडल के द्वारा केवाला दलील सं0–3595, दिनांक–16.04.55, हाल सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं वर्ष 1979–80 तक निर्गत अस्पष्ट/अपठनीय लगान–रसीद की छायाप्रति समर्पित किया गया है। साथ ही द्वितीय पक्ष, भैरव मंडल के द्वारा राधु नापित, पिता–सनातन नापित के नाम से दर्ज विगत् सर्वे खतियान की सच्ची प्रतिलिपि एवं नक्शा की छायाप्रति तथा मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली प्रस्तुत किया है।

दोनों पक्षों द्वारा समर्पित राजस्व कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि प्रथम पक्ष द्वारा प्रश्नगत् भूमि वर्ष 1955 में किस आधार पर क्रय–विक्रय किया गया है और यदि किया गया है तो, द्वितीय पक्ष द्वारा किस परिस्थिति में उक्त भूमि को सार्वजनिक बताया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में उक्त भूमि पर मालिकाना हक किसका है यह सक्षम न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही स्पष्ट हो सकता। मामला स्वत्व वाद से संबंधित है।

अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त करते हुए उभय पक्षों को सक्षम न्यायालय जाने का निदेश दिया जाता है। इसकी सूचना उभय पक्षों को दें।

अंचल अधिकारी,
निरसा।

Scanned with CamScanner